आवश्यक/समयबद्ध

प0सं0-स0नि0-विभागीय कार्यालय/आवासीय भवन-मरम्मत-वृहद-लघु निर्माण कार्य/2023-24/ 272/राज्य कर

प्रेषक,

आयुक्त
राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

1- आपर आयुक्त, राज्य कर
नोयडा जोन, नोयडा।
2- समस्त जोनल अपर आयुक्त
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- अपर निदेशक,
राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
उ0प्र0 लखनऊ।

(सम्पत्ति अनुभाग) **लखनऊः दिनांक 07 जुलाई,2023**

विषयः- राज्य कर विभाग में विभागीय कार्यालय भवन में निर्माण /बाउण्ड्रीवाल निर्माण व नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य कर विभाग के विभागीय कार्यालय भवनों में निर्माण /विभागीय भूमि पर नये कार्यालय भवन का निर्माण कार्य तथा बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य कराये जाने के पूंजीगत मद में एकमुश्त व्यवस्था के अन्तर्गत धनराशि रू0 3560.78 लाख का प्राविधान किया गया है।

अवगत कराना है कि विभागीय भूमि पर चहारदीवारी निर्माण कार्य एवं विभागीय कार्यालय भवन/आवासीय भवन में निर्माण/लघु निर्माण/अनुरक्षण का कार्य कराये जाने हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 797 दिनांक 22.03.2023 व पत्र संख्या 61 दिनांक 24.04.2023 से औचित्यपूर्ण एवं स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने के निर्देश पूर्व में ही दिये गये हैं।

ज्ञातव्य हो कि शासन के पत्र सं0-268/11-4-2023 दिनांक 28.06.2023 जिसकी प्रतिलिपि समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-1, राज्य कर विभाग उत्तर प्रदेश को करते हुए निर्देशित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूंजीगत मद में उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों में लोक निर्माण विभाग के आगणन को शामिल किया जाना अनिवार्य किया गया है, के निर्देश दिये गये हैं।

अतः नये वृहद निर्माण कार्य /निर्माण कार्य हेतु मुख्यालय के पत्र संख्या 61 दिनांक 24.04.2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन करते हुए, तीन कार्यदायी संस्थाओं में लोक निर्माण विभाग का भी आगणन प्रस्ताव शामिल करते हुए, तत्काल औचित्वपूर्ण प्रस्ताव तीन-तीन प्रतियों में स्पष्ट संस्तुति सहित मूलरूप में मुख्यालय उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - शासन का पत्र सं0-268/11-4-2023
दि0- 28-06-2023

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

1. संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0/प्रभारी-नजारत) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव उपरोक्तानुसार समयान्तर्गत उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
2. संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर मुख्यालय, लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु प्रेषित।

अपर आयुक्त, राज्य कर
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

श्री अजय
07/07/23
D.C.(I.T.)
07/07/2023
1213